डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Office : Mohaan Road, Lucknow - 226 017, Website : http://dsmru.up.nic.in

कार्यालय–ज्ञाप

विश्वविद्यालय मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक में अनुमोदनोपरांत मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनाँक 07 अक्टूबर, 2021 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–1242, दिनाँक 12.10.2021 के बिन्दु संख्या–8/35 में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन–2020 को शैक्षिक सत्र–2021–22 से प्राख्यापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक में प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन–2020 को प्रख्यापित किया जाता है, जो शैक्षिक सत्र–2021–22 से लागू होगा।

संलग्नक–परीक्षा विनियमन–2020

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांकः 1818 /DSMNRU/COE-41/Exam Rules/2021–22

दिनांकः–08 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. सम्बन्धित अधिकारीगण।
5. सिस्टम एनॉलिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किये जाने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

8/12/2021

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव।

परीक्षा विनियमन 2020

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम (2009 का उत्तर प्रदेश अधिनियम क्रमांक 1) की धारा 22 की उपधारा (X) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय की प्राधिकृत बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परीक्षा के निम्नलिखित नियम निर्धारित करता है, जिन्हें अब डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन–2020 के नाम से अभिहीत किया जाएगा। उक्त विनियमन शैक्षिक सत्र–2020–21 के प्रारम्भ से प्रभावी होते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से सम्बन्धित संगत प्राविधानों को अंगीकृत करते हुए उन्हें शैक्षिक सत्र–2021–22 से अस्तित्व में लाया जायेगा।

1. उपस्थिति

1.1 अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति की गणना अधिसत्र के समस्त प्रश्न–पत्रों में उपस्थिति के औसत के आधार पर की जाएगी।

1.2 75 प्रतिशत से न्यून उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को विभागाध्यक्ष के स्तर से अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट औचित्यपूर्ण आधार पर प्रदान की जा सकती है।

1.3 75 प्रतिशत से न्यून उपस्थिति वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके रोगग्रस्त होने के कारण उपचार चल रहा था उनके द्वारा अपने परामर्शी चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपस्थिति में चिकित्सीय आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 14 दिन से अधिक का चिकित्सा अवकाश होने की स्थिति में सीएमओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण–पत्र (स्नातक स्तर पर सम्बन्धित अधिष्ठाता कार्यालय में तथा परास्नातक स्तर पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष कार्यालय में) अवकाश उपभोग करने के पश्चात् तत्काल प्रस्तुत करना होगा।

1.4 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपने–अपने पाठ्यक्रमों के अंतिम अधिसत्र में प्लेसमेंट पाने वाले विद्यार्थी भी नियुक्ति–पत्र प्राप्त करने की तिथि से उपस्थिति में छूट के पात्र होंगे।

1.5 उक्त प्रावधानों के इतर कुलपति महोदय के पास विद्यार्थियों को उपस्थिति में छूट प्रदान करने का विशेषाधिकार होगा।

(Dr. Amit Kumar Ra

कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

2. परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली

2.1 विश्वविद्यालय द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों में क्रेडिट आधारित सेमेस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी।

2.2 प्रत्येक प्रश्न–पत्र के आंतरिक मूल्यांकन में 20 अंकों की मिड–सेमेस्टर परीक्षा एवं 10 अंकों का एसाइनमेंट अथवा प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था होगी तथा आगामी शैक्षिक सत्र से बिन्दु संख्या–3 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप वर्णित व्यवस्था प्रभावी होगी।

2.3 एसाइनमेंट अथवा प्रस्तुतिकरण को अधिसत्र के अंत में संचालित होने वाली परीक्षा से पूर्व ही अनिवार्य रूप से संपादित कराना होगा। उपरोक्त व्यवस्था पूर्णरूपेण आंतरिक होगी तथा संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को इसकी सूचना 05 दिन पूर्व प्रसारित करनी होगी।

2.4 दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के दृष्टिगत दृष्टिबाधित विद्यार्थी एसाइनमेंट के स्थान पर प्रस्तुतिकरण तथा श्रवणबाधित एवं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियम में अधिसूचित अन्य दिव्यांग विद्यार्थी भी प्रस्तुतिकरण के स्थान पर एसाइनमेंट के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

2.5 मिड–सेमेस्टर परीक्षा, पाठ्यक्रम में निर्धारित दो इकाइयों का शिक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अथवा प्रश्न–पत्र का 50 प्रतिशत भाग पूर्ण होने के पश्चात् ही आयोजित की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष विषयाध्यापक के परामर्श से विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आंतरिक रूप से उक्त परीक्षा का आयोजन करेंगे, जिसकी सूचना विद्यार्थियों को न्यूनतम 03 दिवस पूर्व विभाग/संकाय स्तर पर प्रदान की जाएगी।

2.6 ऐसे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से न्यून किन्तु 50 प्रतिशत से अधिक है जो किसी दुर्घटना/रुग्णता अथवा किसी विशेष परिस्थिति के कारण आन्तरिक परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सके, उनके संबंध में निर्णयार्थ संबंधित विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता एवं परीक्षा नियन्त्रक की समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे प्रकरण/प्रकरणों को विभागाध्यक्ष द्वारा समिति के संज्ञान में लाते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। समिति की संस्तुति के आधार पर विद्यार्थियों के समस्त शुल्क जमा किए जाने, उपस्थिति, शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता, मिड सेमेस्टर/एसाइनमेण्ट/प्रजेन्टेशन में अनुपस्थिति के औचित्य आदि बिन्दुओं पर विचार करते हुए विद्यार्थियों

(Dr. Amit Kumar Ra

के भविष्य एवं उनके हित के दृष्टिगत एक निश्चित अवधि में मिड सेमेस्टर/एसाइनमेण्ट/प्रेजेन्टेशन परीक्षा का आयोजन विभागीय स्तर पर सम्पन्न कराया जाएगा।

2.7 बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत प्रत्येक अधिसत्र के अंत में (प्रत्येक प्रश्न–पत्र से) पाठ्यक्रमवार (70/50/35) अंकों की परीक्षा होगी तथा आगामी शैक्षिक सत्र से बिन्दु संख्या–3 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप वर्णित व्यवस्था प्रभावी होगी।

2.8 विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा एक परीक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य–सचिव परीक्षा नियन्त्रक होंगे। परीक्षा समिति का पुर्नगठन, उसके सदस्यों के चयन व कार्यकाल का निर्धारण समय–समय पर कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में परीक्षा नियन्त्रक द्वारा किया जाएगा।

2.9 अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा को परीक्षा नियंत्रक की देख–रेख एवं कुलपति महोदय की अध्यक्षता वाली परीक्षा समिति के मार्ग–दर्शन में आयोजित किया जाएगा।

2.10 अधिसत्र के अंत में सम्पादित होने वाली परीक्षा (प्रायोगिक परीक्षा समेत) की समय–सारिणी व तिथि की घोषणा परीक्षा नियंत्रक परीक्षा समिति से विमर्श करने के उपरांत ही करेंगे।

2.11 परीक्षा नियमावली में कतिपय क्रमागत संशोधन परीक्षा समिति के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसे माननीय कार्यपरिषद से प्राप्त अनुमोदन के पश्चात् परीक्षा नियमावली में समाहित कर लिया जाएगा।

2.12 अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक अधिसत्र/सत्रांत परीक्षा के समय ही परीक्षा आवेदन–पत्र भरने होंगे।

2.13 अधिसत्र के अंत में परीक्षा आरंभ होने से पूर्व परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा अनुक्रमांक सहित प्रवेश–पत्र निर्गत किया जाएगा।

2.14 प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन संबंधित विभाग अधिसत्र/सत्रांत में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के समय ही करेगा।

2.15 श्रुति लेखक की सुविधा का उपभोग करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा।

(Dr. Amit Kumar Ra...)

2.16 दिव्यांग विद्यार्थियों/पाठ्यक्रमवार अनुमन्यता के आधार पर सामान्य विद्यार्थियों को भी बोलने वाले कैलकुलेटर (जहाँ परीक्षा के लिए कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति हो), टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, अबेकस ज्यॉमेट्री किट, ब्रेल मेजरिंग टेप, ग्राफ पेपर, स्टीम टेबल, लॉक टेबल और डेटा बुक आदि की सुविधा उनकी मांग के दृष्टिगत ही उपलब्ध करायी जाएगी। सहायक उपकरणों और कम्युनिकेशन चार्ट जैसे संचार बेहतर करने वाले उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी।

2.17 मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, एसाइनमेण्ट/प्रस्तुतिकरण परीक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्रदान करने पर संबंधित परीक्षक द्वारा यथोचित कारण/टिप्पणी का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

2.18 प्रोजेक्ट मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा को अधिसत्र/पाठ्यक्रम के अंत में केवल संबधित विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।

2.19 मौखिक परीक्षा/प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा, लघुशोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु एक बाह्य परीक्षक को भी विशेषज्ञ के रूप में नामित किया जाएगा। मौखिक परीक्षा/प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षक के नाम पर विभागीय बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संस्तुति प्रदान की जाएगी।

2.20 मिड–सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

2.21 अधिसत्र के अंत की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा नियंत्रक के निर्देशन में क्रमशः संबंधित विषय के नामित बाह्य एवं आंतरिक शिक्षकों द्वारा ही किया जायेगा।

2.22 यदि संबंधित शिक्षक मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं हों तो विभागाध्यक्ष वैकल्पिक परीक्षक का नाम सुझाएँगे।

2.23 मिड–सेमेस्टर परीक्षा एवं सेमेस्टर के अंत में हुई परीक्षा में ब्रेल लिपि के एसाइनमेंट एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षा नियंत्रक ब्रेल लिपि के ज्ञाताओं का एक पैनल बनाएँगे।

3. प्रश्नपत्र का निर्माण/संशोधन

3.1 मिड–सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्र संबंधित विषयाध्यापक तैयार करेंगे। मिड–सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न–पत्र अधिकतम 20 अंक का होगा।

(Dr. Amit Kumar Roy)

3.2 मिड–सेमेस्टर परीक्षा में, किसी भी पाठ्यक्रम के, प्रत्येक प्रश्नपत्र में तीन खंड होंगे। खंड अ में 01–01 अंक के पाँच वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। खंड ब में लघुउत्तरीय अधिकतम 100 शब्द की सीमा वाले तीन प्रश्न होंगे, जो 04 अंक के होंगे। खंड स में अधिकतम 500 शब्द के एवं 07 अंक के दो विवरणात्मक प्रश्न होंगे। खंड अ के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और खंड ब में विद्यार्थी को 03 में से कन्हीं 02 प्रश्नों एवं खंड स में से विद्यार्थी को 02 में से किसी 01 प्रश्न का उत्तर देना होगा।

3.3 अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा के लिए सभी पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आंतरिक तथा बाह्य रूप से तैयार किए जाएँगे। केवल भाषा अथवा साहित्य के विषयों एवं उन पाठ्यक्रमों में उक्त नियम में शिथिलता प्रदान की जायेगी, जहाँ पढ़ाई मात्र अंग्रेजी माध्यम द्वारा होती है।

3.4 अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न–पत्र के दो सेट तैयार किए जाएंगे तथा यथा संभव प्रश्न–पत्र बैंक बनाया जाएगा।

3.5 स्नातकोत्तर स्तर पर, प्रत्येक सेमेस्टर में नियमित आवर्तन से, कम से कम 02 प्रश्न–पत्र विश्वविद्यालय के बाहर से तैयार कराने का प्रयास किया जाएगा।

3.6 स्नातक/परास्नातक स्तर पर, प्रत्येक विषय के सम–विषम अधिसत्र में, नियमित आवर्तन से कम से कम 02 प्रश्न–पत्र बाहर से तैयार कराए जाएँगे; चाहे पाठ्यक्रम की अवधि कुछ भी हो।

3.7 बाहर से तैयार कराए जाने वाले प्रश्न–पत्रों हेतु अधिकतम 02 वर्ष के अन्तराल की अवधि निर्धारित की जायेगी।

3.8 संबंधित विभागों के अध्ययन मण्डल (बी0ओ0एस0) बाहर से तैयार कराए जाने वाले प्रश्न–पत्रों व बाह्य परीक्षकों को नामित किये जाने हेतु उनके नामों की संस्तुति तथा उनकी कार्य अवधि निर्धारित करेंगे।

3.9 अधिसत्र/सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न–पत्र में तीन खंड होंगे, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(1) 70 अंक वाले प्रश्न–पत्रों में अंकों का विवरण–

खण्ड–अ : वस्तुनिष्ठ 3 अंक के 05 प्रश्न, जो कुल 15 अंकों के होगे। **खण्ड–ब:** लघुउत्तरीय 7 अंक के 05 प्रश्न, जो कुल 35 अंकों के होंगे (शब्द सीमा 100–150 शब्द प्रतिप्रश्न)। **खण्ड–स:** विवरणात्मक श्रेणी के 10 अंक के 02 प्रश्न करने होंगे, जो कुल 20 अंकों के होंगे (शब्द सीमा 250–300 शब्द प्रतिप्रश्न)।

Dr. Amit Kumar Rai

खंड अ के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, खंड ब में विद्यार्थी को 07 में से कोई 05 प्रश्न हल करने होंगे व खंड स में विद्यार्थी को 03 में से किन्हीं 02 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। (15+35+20=70)

(2) 50 अंक वाले प्रश्न–पत्रों में अंकों का विवरण–

खण्ड–अ : वस्तुनिष्ठ 3 अंक जो कुल 05 प्रश्न, जो कुल 15 अंकों के होंगे। **खण्ड–ब** : लघुउत्तरीय 5 अंक के 03 प्रश्न, जो कुल 15 अंकों के होंगे (शब्द सीमा 100–150 शब्द प्रतिप्रश्न)। **खण्ड–स** : विवरणात्मक 10 अंक के 02 प्रश्न करने होंगे, जो कुल 20 अंकों के होंगें तथा इनका उत्तर 300 शब्द सीमा के अन्तर्गत देना होगा।

खंड अ के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, खंड ब में विद्यार्थी को 05 में से कोई 03 प्रश्न हल करने होंगे और खंड स में विद्यार्थी को 03 में से किन्हीं 02 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। (15+15+20=50)

(3) 35 अंक वाले प्रश्न–पत्रों में अंकों का विवरण–

खण्ड–अ : वस्तुनिष्ठ 3 अंक के 05 प्रश्न, जो कुल 15 अंकों के होंगे। **खण्ड–ब** : लघुउत्तरीय 5 अंको के 02 प्रश्न, जो कुल 10 अंकों के होंगे (शब्द सीमा 100–150 शब्द प्रति प्रश्न)। **खण्ड–स** : विवरणात्मक 10 अंक का 01 प्रश्न होगा, जिसका उत्तर 300 शब्दों में लिखना होगा।

खंड अ के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, खंड ब में विद्यार्थी को 03 में से कोई 02 प्रश्न हल करने होंगे और खंड स में विद्यार्थी को 02 में से किन्हीं 01 प्रश्न का उत्तर देना होगा। (15+10+10=35)

*व्यावसायिक और संख्यात्मक विषयों के प्रश्न–पत्रों के अधिकतम शब्दों की सीमा पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

उपरोक्तानुसार 3.1 से लेकर 3.9 तक वर्णित व्यवस्था के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप विहित प्राविधानों को विश्वविद्यालय के सक्षम निकाय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में प्रतिस्थापित करते हुए शैक्षिक सत्र–2021–22 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं में अंकों के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में अधिसत्र/सत्रांत में होने वाली परीक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न–पत्र में तीन खंड होंगे, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

लिखित परीक्षा में 75 अंकों वाले प्रश्न–पत्रों में अंकों के निर्धारण का विवरण निम्नवत् है :–

खण्ड–अ : वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 15 अंकों के होंगे। प्रश्नों की इस श्रेणी के अन्तर्गत प्राश्निकों द्वारा 03 अंक के 05 प्रश्न अथवा 01 अंक के 15 प्रश्न निर्मित किये जायेंगे।

(Dr. Amit Kumar Rai)

खण्ड–बः लघुउत्तरीय प्रश्नों हेतु निर्धारित कुल 28 अंकों के लिये विद्यार्थियों को 04 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना होगा, प्रत्येक प्रश्न हेतु इस श्रेणी के अन्तर्गत 07 अंक निर्धारित किये गये हैं।

खण्ड–सः विवरणात्मक श्रेणी के प्रश्नों हेतु निर्धारित कुल 32 अंकों के लिये विद्यार्थियों को 02 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना होगा, प्रत्येक प्रश्न हेतु इस श्रेणी के अन्तर्गत 16 अंक निर्धारित किये गये हैं।

खण्ड–अ के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, **खण्ड–ब** में विद्यार्थी को 06 में से कोई 04 प्रश्न हल करने होंगे एवं **खण्ड–स** में विद्यार्थी को 03 में से किन्हीं 02 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। (15+28+32=75)

आंतरिक परीक्षा के अन्तर्गत–मिड सेमेस्टर टेस्ट परीक्षा 10 अंकों की होगी विवरण निम्नवत् है :–

खण्ड–अ : वस्तुनिष्ठ 01 अंक के 04 प्रश्न, जो कुल 4 अंकों के होगे।
खण्ड–बः लघुउत्तरीय 02 अंक का 01 प्रश्न करना होगा, जो कुल 02 अंकों का होगा (शब्द सीमा 100 शब्द प्रतिप्रश्न)।
खण्ड–सः विवरणात्मक श्रेणी के 04 अंक का 01 प्रश्न करना होगा, जो कुल 4 अंकों का होगा (शब्द सीमा 200 शब्द प्रतिप्रश्न)।
खण्ड–अ के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, **खण्ड–ब** में विद्यार्थी को 02 में से कोई 01 प्रश्न हल करना होगा एवं **खण्ड–स** में विद्यार्थी को 02 में से किन्हीं 01 प्रश्न का उत्तर देना होगा। (04+02+04=10)

इसी प्रकार आंतरिक परीक्षा के अन्तर्गत एसाइनमेण्ट/प्रेजेण्टेशन/डीबेट/क्विज आदि जो कुल 15 अंकों की होगी। (10+15=25)

3.10 प्रत्येक विभाग में एक डिपार्टमेंटल मॉडरेशन समिति (विभागीय अनुशोधन समिति) होगी, जिसमें विभागाध्यक्ष (संयोजक) सहित विभाग के तीन वरिष्ठ शिक्षक सदस्य होंगे। समिति का कार्य सभी परीक्षाओं में संबंधित विषय के सभी प्रश्न–पत्रों का परीक्षण कर आवश्यक संशोधन करना होगा।

3.11 विभाग से इतर विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति महोदय द्वारा नामित किसी आचार्य की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यी माडरेशन समिति गठित की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के क्रियाशील विभागों में कुलपति महोदय व परीक्षा नियंत्रक द्वारा विमर्शोपरांत निर्धारित अनुपात में चयनित विषयों में प्रश्न–पत्रों में संशोधन व परिमार्जन हेतु अधिकृत होगी।

4. परीक्षा का माध्यम एवं अवधि

4.1 परीक्षा का माध्यम देवनागरी और लैटिन लिपि (रोमन) होगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को श्रुति लेखक की सुविधा और ब्रेल सदृश परीक्षा माध्यम चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

(Dr. Amit Kumar Rai)

कुलपति
डॉ. राहुल सिंह
राजीव गांधी विश्वविद्यालय

4.2 साहित्य एवं भाषा विषयों में परीक्षा का माध्यम संबंधित भाषा ही होगा।

4.3 प्रश्न–पत्रों को ब्रेल लिपि में मुद्रण के सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक के स्तर पर आवश्यकतानुसार औचित्यपूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4.4 मिड–सेमेस्टर परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी। (आवश्यकतानुसार दृष्टिबाधित एवं बेंचमार्क्ड दिव्यांगता (यथा–सेरेब्रल पाल्सी, बहुविकलांगता, पोलियोंग्रस्त हाथ आदि स्थितियों में) वाले विद्यार्थियों को श्रुति लेखक की अनुमन्य सुविधा हेतु 20 मिनट का पूरक समय देय होगा)

4.5 अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा की अवधि 03 घंटा होगी। (दृष्टिबाधित एवं बेंचमार्क्ड दिव्यांगता (यथा–सेरेब्रल पाल्सी, बहुविकलांगता, पोलियोंग्रस्त हाथ आदि स्थितियों में) श्रुति लेखक की अनुमन्य सुविधा वाले विद्यार्थियों हेतु 20 मिनट प्रति धण्टे का पूरक समय दिया जाएगा)

5. आगामी वर्ष में प्रोन्नति/उपाधि प्रदान करना

5.1 विषम अधिसत्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को इस शर्त के साथ आगामी अधिसत्र में प्रोन्नति प्रदान किया जाएगा कि वह पाठ्यक्रम के 04 से अधिक प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण न हुए हों।

5.2 विषम अधिसत्र में यदि 04 या 04 से कम प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पुनः आगामी सम अधिसत्र में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे बैक पेपर की सुविधा प्रदान की जायेगी। सम अधिसत्र के साथ ही विगत विषम अधिसत्र की बैक पेपर परीक्षा आयोजित करा ली जायेगी। तत्पश्चात् सम अधिसत्र की सामान्य परीक्षा के पश्चात् सम/द्वितीय अधिसत्र की बैक पेपर परीक्षा, सामान्य परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सम्पन्न करायी जायेगी। तथापि यदि विद्यार्थी एक शैक्षिक सत्र के दोनों अधिसत्रों को मिलाकर 04 से अधिक प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है, तो उसे ईयर बैक कर दिया जायेगा। ईयर बैक किये गये विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क सम्बन्धी छूट अनुमन्य नहीं होगी।

5.3 तृतीय अधिसत्र में प्रोन्नति हेतु यह अनिवार्यता होगी कि विद्यार्थी 04 से अधिक प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण न हुआ हो।

5.4 चतुर्थ अधिसत्र में प्रोन्नति हेतु विद्यार्थी के लिये यह अनिवार्यता होगी कि विद्यार्थी 04 से अधिक प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण न हुआ हो।

5.5 इसी भाँति अन्य अधिसत्र में भी 04 से अधिक प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आगामी अधिसत्र में प्रोन्नत नहीं किये जायेंगे।

5.6 भविष्य में यदि किसी विशेष परिस्थिति में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराने की आवश्यकता होती है तो परीक्षा समिति की संस्तुति और माननीय

(Dr. Anil Kumar Rai)

कुलपति महोदय के अनुमोदन के उपरांत ही उक्त परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकेगी।

5.7 पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि–

पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि (N+2) वर्ष होगी, जहाँ N उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि है। परन्तु विस्तारित अवधि में (02 वर्ष) पाठ्यक्रम पूर्ण करने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी को शुल्क, छात्रावास की निःशुल्क सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। किन्तु विश्वविद्यालय में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि के अतिरिक्त मात्र एक वर्ष का ही समय प्रदान किया जायेगा। पाठ्यक्रम की अवधि के संबंध में मानक नियामक संस्था/अधिकरण की संस्तुति (RCI/BCI/MCI/AICTE आदि) के अनुसार समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश के अधीन होंगे तथा उपरोक्त का अनुपालन करते समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि लिंगदोह समिति की सिफारिश की अवहेलना न हो।

6. संवीक्षा (स्क्रूटनी)

6.1 अधिसत्र के अंत में हुई परीक्षा में मिले प्राप्तांकों से असंतुष्ट विद्यार्थी स्क्रूटनी शुल्क का भुगतान कर स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है।

6.2 स्क्रूटनी से आशय है कि बिना जाँचे हुए उत्तरों के अंक दिए जाएँगे और प्राप्तांकों के योग का पुनः परीक्षण किया जाएगा।

6.3 स्क्रूटनी के लिए विद्यार्थी को स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, जो परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

6.4 परीक्षा नियंत्रक को स्क्रूटनी के निर्देश समय–समय पर अधिसूचित करने होंगे।

6.5 स्क्रूटनी की सुविधा मात्र लिखित परीक्षा में उपलब्ध होगी।

6.6 कोई विद्यार्थी किसी एक प्रश्न–पत्र की स्क्रूटनी के लिए मात्र एक बार आवेदन कर सकता है।

6.7 कोई भी विद्यार्थी यथावांछित प्रश्न–पत्रों (प्रायोगिक प्रश्न–पत्रों से इतर) में स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है।

6.8 यदि स्क्रूटनी के पश्चात् विद्यार्थी के प्राप्तांकों में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो उसे विगत ग्रेड रिपोर्ट जमा करने पर संशोधित ग्रेड रिपोर्ट प्रदान कराया जाएगा।

Dr. Amit Kumar Roy

6.9 यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के प्राप्तांक स्क्रूटनी के पश्चात् उत्तीर्ण हो जाता है तो वह विलंब शुल्क जमा कराए बिना आगामी अधिसत्र में प्रोन्नति का अधिकारी होगा।

6.10 स्क्रूटनी का परिणाम ही अंतिम होगा।

7. चुनौती मूल्यांकन

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) दो चरणों में होगा–

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा

2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के प्रथम चरण के लिये परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के प्रथम चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 300/– प्रति प्रश्न–पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में –

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।

2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैतालीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 2500/– प्रति प्रश्न–पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

(Dr. Amit Kumar Rai)

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया –

1. प्रत्येक प्रश्न–पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों की एक नामावली (Panel) संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए।

2. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा करवाया जाए।

3. विषय विशेषज्ञ/परीक्षक को नामित करने का कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए।

4. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/परीक्षक के सम्मुख उपस्थिति करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।

5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छायाप्रतियाँ तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में–

1. दोनों विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।

2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक।

3. यदि औसत और मूल प्राप्तोंकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/–में से रू0 1000/–की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में–

1. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।

2. यदि ऐसे परीक्षक के 3 (तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न–पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के, संबंधित प्रश्न–पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5 (पाँच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न–पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10

(Dr. Amit Kumar Rai)

से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न–पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ–साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।

8. निरीक्षण

8.1 शिक्षकवृन्द एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए परीक्षा ड्यूटी अनिवार्य होगी।

8.2 निरीक्षक–परीक्षार्थियों का अनुपात 1:20 होगा।

8.3 परीक्षा नियंत्रक परीक्षा ड्यूटी का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करेंगे।

8.4 यदि कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों के कारण परीक्षा ड्यूटी करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसे इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को पूर्व से ही देनी होगी तथा सक्षम स्तर (शिक्षकवृन्द हेतु कुलपति महोदय तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु विश्वविद्यालय के कुलसचिव) से अनुमति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी।

8.5 विश्वविद्यालय के शिक्षकवृन्द तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा ड्यूटी के विषय में सामान्यतया 07 दिन पूर्व सूचना दे दी जाएगी।

8.6 यदि अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा एक से अधिक केंद्रों पर संपादित कराई जाती हैं तो कुलपति महोदय द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र हेतु एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेंगा। 10 वर्ष से अधिक नियमित सेवा का अनुभव रखने वाले शिक्षक ही पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु पात्र होंगे।

9 पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम

पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश से लेकर शोध प्रबन्ध मूल्यांकन तक की समस्त कार्यवाही परीक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित शोध अनुभाग द्वारा पी–एच0डी0 अध्यादेश–2018 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गए विनियमों के अधीन संचालित की जाएगी।

10. मानदेय

परीक्षा से संबंधित कार्यों यथा प्रश्न–पत्र निर्माण, मॉडरेशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, सचल–दस्ता, मूल्यांकन आदि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकानुसार पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

(Dr. Amit Kumar Rai)

11. शिक्षक कल्याण कोष के संबंध में

अधिसत्र परीक्षाओं एवं बैक पेपर परीक्षाओं में परीक्षकों (आन्तरिक एवं बाह्य) द्वारा मूल्यांकन कार्य किये जाने पर उन्हें निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। परीक्षकों को दिये जाने वाले उक्त पारिश्रमिक की 5 प्रतिशत धनराशि "शिक्षक कल्याण कोष" में जमा किया जायेगा।

उक्त कोष का नियमन/नियंत्रण विद्या परिषद एवं माननीय कुलपति की संस्तुति के आधार पर गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।

12. क्रेडिट प्रणाली

12.1 **क्रेडिट** किसी पाठ्यक्रम के मूल्य, स्तर अथवा आवश्यक समय को भारांक प्रदान करने वाली इकाई है। **एक क्रेडिट 15 शिक्षण घंटों के बराबर होगा।** यदि किसी सेमेस्टर में किसी विषय के पाँच पेपर हैं और प्रत्येक पेपर में 3 क्रेडिट हैं तो सेमेस्टर के उस विषय में कुल क्रेडिट 3 (क्रेडिट प्रति पेपर) x 5 (पेपरों की संख्या) = 15 (विषय के कुल क्रेडिट) होंगे।

12.2 **ग्रेड वैल्यू** का अर्थ विद्यार्थी द्वारा किसी पेपर में प्राप्त किए गए अंकों के लिए निर्धारित मूल्य या वैल्यू है। ग्रेड वैल्यू 10 अंकों के पैमाने पर आधारित है।

12.3 विद्यार्थी द्वारा किसी प्रश्न–पत्र में प्राप्त की गई ग्रेड वैल्यू के आधार पर निर्धारित अल्फाबेटिकल ग्रेड को **लेटर वैल्यू** कहा जाएगा। छात्र को 10 अंकों के पैमाने पर दी जाने वाली ग्रेड वैल्यू और लेटर ग्रेड छात्र द्वारा प्राप्त की गई ग्रेड वैल्यू पर आधारित होंगे। नीचे दी गई तालिका में प्राप्तांकों के दायरे (परास), ग्रेड वैल्यू और उनके अनुसार लेटर ग्रेड दिखाए गए हैं:

Level	Outstanding	Excellent	Very Good	Good	Above Average	Average	Pass	Fail	Absent
Letter Grade	O	A+	A	B+	B	C+	C	F	AB
Grade Point	10	9	8	7	6	5	4	00	00
Score (Marks) Range (%)	≥90	<90 ≥80	<80 ≥70	<70 ≥60	<60 ≥50	<50 ≥45	<45 ≥40	<40	

उदाहरणार्थ:

यदि किसी प्रश्न–पत्र में विद्यार्थी को 70 से 79 के बीच अंक मिलते हैं तो पेपर के लिए ग्रेड वैल्यू 8 होगी और उस प्रश्न–पत्र के लिए लेटर ग्रेड A (Distinction) होगा।

(Dr. Amit Kumar Rai)

12.4 **ग्रेड पॉइंट** का आकलन छात्र को मिली **ग्रेड वैल्यू** तथा पेपर के **क्रेडिट** के गुणन से किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को 08 ग्रेड वैल्यू मिली है और प्रश्न–पत्र के क्रेडिट 03 हैं तो उस पेपर में उस विद्यार्थी के ग्रेड पॉइंट 8 X 3 = 24 होंगे।

12.5 **SGPA और CGPA की गणना :–**

सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (**SGPA**) और क्यूमलेटिव ग्रेड प्वाइंट औसत (**CGPA**) की गणना निम्नवत् की जायेगी–

ए– SGPA ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या के उत्पाद के योग का अनुपात है– $SGPA\ (Si) = \sum(Ci \times Gi)/\sum Ci$

जहाँ Ci = ith कोर्स की क्रेडिट संख्या

Gi = ith कोर्स में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया ग्रेड प्वाइंट

बी– CGPA की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जायेगी–

$$CGPA = \sum(Ci \times Si)/\sum Ciz$$

जहाँ Si = ith सेमेस्टर का SGPA

Ci = उस सेमेस्टर की सम्पूर्ण क्रेडिट

Ciz =पाठ्यक्रम अवधि के समस्त सेमेस्टर/वर्षों में प्राप्त कुल क्रेडिट स्कोर

सी– SGPA और CGPA की गणना दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

उदाहरण के लिये:

Computation of SGPA Illustration No.1

Course	Credit	Letter Grade	Grade Point	Credit point (Credit x Grade)
Course 1	3	B+	7	3x7=21
Course 2	3	C	4	3x4=12
Course 3	4	B	6	4x6=24
Course 4	4	A+	9	4x9=36
Course 5	3	C+	5	3x5=15
Course 6	4	C	4	4x4=16
Course 7	3	A	8	3x8=24
Course 8	3	C	4	3x4=12
Total	27			160

(Dr. Amit Kumar Rai)

Thus, SGPA=160/27 = 5.95

Illustration No.2

Course	Credit	Letter Grade	Grade Point	Credit point Credit x Grade
Course 1	3	B+	7	3x7=21
Course 2	3	C	4	3x4=12
Course 3	3	B	6	3x6=18
Course 4	3	A+	9	3x9=27
Course 5	3	F	0	3x0=00
Course 6	3	C	4	3x4=12
Course 7	4	A	8	4x8=32
Course 8	3	C	4	3x4=12
Course 9	2	C+	5	2x5=10
Total	27			144

Thus, SGPA=144/27 = 5.33

Illustration No.2 (a)

Course	Credit	Letter Grade	Point Grade	Credit point Credit x Grade
Course 5	3	A	8	3x8=24

Ci (First Attempt) 144+ Ci (subsequent attempt) 24=168

Thus, SGPA=168/27 = 6.22

CGPA=(27x5.92+27x6.22)/54=6.07

Illustration No.3

Course	Credit	Letter Grade	Grade Point	Credit point Credit x Grade
Course 1	3	B+	7	3x7=21
Course 2	3	C	4	3x4=12
Course 3	3	B	6	3x6=18
Course 4	3	A+	9	3x9=27
Course 5	3	A	8	3x8=24
Course 6	3	C	4	3x4=12
Course 7	3	A	8	3x8=24
Course 8	3	A	8	3x8=24
Course 9	3	C+	5	3x5=15
Total	27			177

(Dr. Amit Kumar Rai)

Thus, SGPA= 177/27= 6.55
CGPA=(27 X 5.92 + 27 X 6.22+27x6.55)/81 =67.23

CGPA after Final semester

Sem-1	Sem-2	Sem-3	Sem-4
Credit: 27	Credit: 27	Credit: 27	Credit: 27
SGPA:5.92	SGPA:6.22	SGPA:6.55	SGPA:6.86

Thus, CGPA=27X 5.92+27X 6.22+27X 6.55+27X 6.86/108 =6.38

12.6 CGPA को प्राप्तांक में बदलने का सूत्र इस प्रकार है

X = 10 Y

जहाँ X प्राप्तांक प्रतिशत है, Y का आशय CGPA से है, 10 यहाँ पर 10 पॉइंट का पैमाना है।

12.7 प्राप्त हुई श्रेणी या डिवीजन का आकलन निम्न तालिका में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा:

क्रमांक	श्रेणी	CGPA
1	विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी	7.5 और उससे अधिक
2	प्रथम श्रेणी	6.5 और उससे अधिक किंतु 7.5 से कम
3	द्वितीय श्रेणी	5.0 और उससे अधिक किंतु 6.5 से कम
4	तृतीय श्रेणी	4.0 और उससे अधिक किंतु 5.0 से कम

12.8 विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु उपाधि 4.0 या उससे अधिक CGPA अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को ही प्रदान की जाएगी।

12.9 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(Dr. Amit Kumar Rai)

(I/c कुलसचिव)

परिशिष्ट 1

अनुचित तरीकों के नियम

1. अनुचित तरीकों या साधनों का अर्थ है कि कोई परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित या गलत तरीकों का प्रयोग करते हुए अथवा प्रयोग करने का प्रयास करते हुए, उसमें सहायता करते हुए, उसके लिए उकसाते हुए अथवा उसे बढ़ावा देते हुए पाया गया है।

2. यदि किसी परीक्षार्थी के पास विषय से सम्बन्धित अनधिकृत सामग्री पाई जाती है अथवा यदि उसने अनधिकृत सामग्री का कोई अंश अथवा समूची सामग्री लिख ली है अथवा वह किसी निरीक्षक या परीक्षा ड्यूटी पर नियुक्त व्यक्ति को डराता, धमकाता है अथवा उसके साथ हाथापाई या हिंसा करता है अथवा वह अपनी उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपे बगैर ही परीक्षा कक्ष से बाहर चला जाता है अथवा वह किसी अन्य परीक्षार्थी या परीक्षा कक्ष के बाहर मौजूद किसी व्यक्ति से बात करता पाया जाता है तो उसे 'अनुचित तरीकों' का प्रयोग करता हुआ मान लिया जाएगा।

3. किसी परीक्षार्थी के पास 'अनुचित सामग्री होने' का अर्थ परीक्षा आरंभ होने से संपन्न होने तक परीक्षार्थी के पास अथवा उसकी मेज या कुर्सी या डेस्क अथवा परीक्षा कक्ष में उसकी पहुँच के भीतर किसी स्थान पर कोई अनुचित सामग्री होना है अथवा प्रसाधन कक्ष के भीतर या वहाँ आते–जाते समय किसी भी बिंदु पर उसके पास अनुचित सामग्री का होना है।

4. 'अनुचित सामग्री' का आशय परीक्षा के विषय से संबंधित कोई भी छपी, टाइप की हुई अथवा कागज, कपड़े, लकड़ी या किसी अन्य सामग्री पर किसी भी भाषा में लिखी हुई सामग्री या चार्ट चित्र, मानचित्र अथवा रेखाचित्र से होगा।

5. 'परीक्षार्थी के पास अनुचित सामग्री पाए जाने' का अर्थ होगा कि निरीक्षक अथवा मुख्य निरीक्षक अथवा शिक्षक या उसकी ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुचित सामग्री पाए जाने की लिखित शिकायत की गई, चाहे प्रमाणस्वरूप अनुचित सामग्री प्रस्तुत नहीं की जाए, क्योंकि लिखित शिकायत के अनुसार उसे निगल लिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो या छीन लिया गया हो अथवा परीक्षार्थी या उसके कहने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सामग्री हटा ली गई हो। शर्त यही है कि यह रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक अथवा संबंधित अधिकारियों के पास जमा की गई हो।

6. 'परीक्षा के विषय से संबंधित सामग्री' का अर्थ होगा कि यदि सामग्री प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत की गई है तो विषय के शिक्षक ने सामग्री परीक्षा के विषय से संबंधित होने की बात प्रमाणित की हो और यदि ऊपर बिन्दु संख्या 1.5 में दिए गए किसी भी कारण से

Dr. Amit Kumar Rai

सामग्री प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत नहीं की गई है तो अनुमान लगाया जाएगा कि सामग्री परीक्षा के विषय से संबंधित है।

7. यदि निरीक्षक, उड़न दस्ते, प्रॉक्टोरियल बोर्ड अथवा संस्थान के किसी अन्य अधिकारी द्वारा कोई भी छात्र अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है तो निरीक्षक सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करेगा।

8. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए गए छात्र को परीक्षा कक्ष में ही नोटिस दिया जाएगा और यदि वह स्वयं यह नोटिस लेने से इन्कार करता है अथवा उससे बचता है या भाग जाता है तो यह नोटिस परीक्षा नियंत्रक द्वारा घटना के सात दिनों के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से उसके पत्राचार के पते पर भेजा जाएगा। परीक्षार्थी को नोटिस जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर उत्तर देना होगा। यदि इस अवधि के भीतर उत्तर नहीं मिलता है तो मान लिया जाएगा कि परीक्षार्थी के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है।

9. इन नियमों में सुझाया गया दंड कुलपति महोदय द्वारा नियुक्त कम से कम पाँच शिक्षकों की समिति द्वारा दिया जाएगा। समिति की बैठक में कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

10. समिति ऊपर बिंदु संख्या 1.8 में बताई गई इन बातों पर विचार करेगी–

10.1 परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार की अनुचित सामग्री पाए जाने की सूचना पर;

10.2 यदि परीक्षार्थी ने नोटिस का उत्तर दिया हो तो उस पर;

10.3 परीक्षार्थी के पास पाई गई अनुचित सामग्री में लिखे विवरण के विषय में यदि संबंधित परीक्षक ने कोई सूचना दी हो तो उस पर;

10.4 विश्वविद्यालय द्वारा ड्यूटी पर नियुक्त किसी व्यक्ति को परीक्षा के दौरान डराने, धमकाने, उसके साथ हाथापाई अथवा हिंसा करने की सूचना पर; व

10.5 किसी अन्य सामग्री पर।

11. बिंदु संख्या 1.9 से संदर्भित समिति आधिकारिक रूप से यह कह देने के बाद कि उसने नियम संख्या 1.10 में बताए गए सभी दस्तावेजों की जाँच कर ली है और वह मामले के तथ्यों से संतुष्ट है, नीचे बताए गए दंड देगी।

12. अनुचित सामग्री पाए जाने पर; अथवा उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपे बगैर परीक्षा कक्ष छोड़ने पर; अथवा अन्य परीक्षार्थियों या परीक्षा कक्ष के भीतर अथवा बाहर किसी अन्य व्यक्ति से बात करने पर **उस परीक्षा में परीक्षार्थी के परिणाम निरस्त कर दिए जाएँगे।**

13. यदि परीक्षार्थी ने उसके पास मिली अनुचित सामग्री के किसी अंश अथवा समूची सामग्री को लिख लिया हो; उसने निरीक्षक या परीक्षा ड्यूटी पर आए किसी अन्य

(Dr. Amit Kumar Rai)

लखनऊ

व्यक्ति को डराया–धमकाया हो तो उस परीक्षा में परीक्षार्थी का परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा और उसे अगले शैक्षिक सत्र की उस परीक्षा अथवा बाद की परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

14. निरीक्षक अथवा परीक्षा ड्यूटी पर तैनात किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई या हिंसा करने के मामले को बिंदु संख्या 1.9 में बताई गई समिति जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रॉक्टर के पास भेज देगी।

15. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा व्यवधान डाले जाने की शिकायत मिलने पर मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा।

16. प्रॉक्टर छात्र अथवा छात्रों द्वारा परीक्षा में व्यवधान डाले जाने की शिकायत पर और उसके अथवा उनके उत्तर एवं अन्य संबंधित सामग्री पर विचार करेंगे। वह आधिकारिक रूप से यह कहने के बाद कि उन्होंने सभी संबंधित दस्तावेजों को जाँच लिया है और वह वस्तुस्थिति से स्वयं संतुष्ट हैं, नीचे लिखे दंड देंगे:

16.1 ऐसा व्यवधान डालने पर, जिससे हिंसा हो अथवा परीक्षार्थी बहिष्कार कर दें अथवा परीक्षा बाधित करने पर **विश्वविद्यालय से कम से कम 01 वर्ष और अधिकतम 03 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा।**

16.2 परीक्षा में व्यवधान डालने पर, किंतु शारीरिक हिंसा में शामिल नहीं होने और व्यवधान के कारण बहिष्कार नहीं होने अथवा परीक्षा बाधित करने पर **विश्वविद्यालय से कम से कम 01 वर्ष और अधिकतम 02 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा।**

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

लखनऊ

परिशिष्ट 2

दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु प्रावधान

1. बिन्दु संख्या–2.4 दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु आन्तरिक परीक्षा में निर्दिष्ट प्रावधान।

2. बिन्दु संख्या–2.15 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु श्रुति लेखक के संबंध में प्रावधान।

3. बिन्दु संख्या–2.16 दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु परीक्षा में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक/सामान्य उपकरणों के संबंध में प्रावधान।

4. बिन्दु संख्या–4.1 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के ब्रेल आदि परीक्षा माध्यम के चुनाव के संबंध में।

5. बिन्दु संख्या–4.3 ब्रेललिपि में प्रश्न–पत्र निर्माण के संबंध में।

6. बिन्दु संख्या–4.4–4.5 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा अवधि में पूरक समय उपलब्ध कराने के संबंध में।

7. भविष्य में विश्वविद्यालय आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में मूक बधिर विद्यार्थियों हेतु सांकेतिक भाषा में प्रस्तुतिकरण तथा उसकी आडियो/वीडियों रिकार्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

8. भविष्य में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालय परास्नातक तथा पी–एच0डी0 स्तर पर आडियों रिकार्डिंग के माध्यम से परीक्षा में प्रस्तुतिकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

9. भविष्य में नियामक संस्थाओं (यथा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय/यू0जी0सी0/आर0सी0आई0 आदि) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को समाहित करते हुए दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु परीक्षा के संबंध में समय–समय पर अन्य प्रावधान भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

लखनऊ